न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पदेन सहायक कलक्टर हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज.)

: : मूल वाद मे अंतिम डिक्री : :

{आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0}

पीठासीन अधिकारी – सुश्री अंशुल आमेरिया (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 07 / 2011(106 / 14)

अनवान

1. श्रीमति रामकन्या पत्नि बद्रीलाल दरोगा आयु 45 वर्ष निवासी हाल खैराबाद तहसील हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज.)

..... वादी

बनाम

1 बद्री पुत्र भैरू दरोगा आयु निवासी खेराबाद तहसील हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज.)
2 नारायण पुत्र श्री भैरू दरोगा निवासी खेराबाद तहसील हमीरगढ जिला भीलवाड़ा।
3 उदा पुत्र श्री भैरू दरोगा निवासी खेराबाद तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा।
4 फेफी पत्नि श्री भैरू दरोगा निवासी खेराबाद तहसील हमीरगढ जिला भीलवाड़ा
5 मांगी पुत्री श्री भैरू दरोगा निवासी खेराबाद तहसील हमीरगढ जिला भीलवाड़ा
6 रामू पुत्री श्री भैरू दरोगा आयु वयस्क निवासी खेराबाद तहसील हमीरगढ जिला भीलवाड़ा
7 राज. राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा

..... प्रतिवादीगण

वाद वास्ते स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :::–**श्री प्रवीण चौरडीया अधिवक्ता वादीया उप0**
पैरोकार सरकार उप0

वदीया द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र बहक प्रतिवादी विरूद्ध वादी के, आधारहीन व दोषपूर्ण प्रस्तुत किये जाने तथा अपने वादपत्र से चाही गयी दाद को सिद्ध करने में असफल रहने से खारिज किये जाने के आदेश प्रसारित किये जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। तद्नुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो।

निर्णय आज दिनांक 26.05.2022 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(अशुंल आमेरिया)
उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर हमीरगढ
जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़, भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2022.10.11 17:03:40 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पदेन सहायक कलक्टर हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – सुश्री अंशुल आमेरिया (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 07 / 2011(106 / 14)

अनवान

1. श्रीमति रामकन्या पत्नि बद्रीलाल दरोगा आयु 45 वर्ष निवासी हाल खैराबाद तहसील हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज.)

.... वादी

बनाम

1 बद्री पुत्र भैरू दरोगा आयु निवासी खेराबाद तहसील हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज.)
2 नारायण पुत्र श्री भैरू दरोगा निवासी खेराबाद तहसील हमीरगढ जिला भीलवाड़ा।
3 उदा पुत्र श्री भैरू दरोगा निवासी खेराबाद तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा।
4 फेफी पत्नि श्री भैरू दरोगा निवासी खेराबाद तहसील हमीरगढ जिला भीलवाड़ा
5 मांगी पुत्री श्री भैरू दरोगा निवासी खेराबाद तहसील हमीरगढ जिला भीलवाड़ा
6 रामू पुत्री श्री भैरू दरोगा आयु वयस्क निवासी खेराबाद तहसील हमीरगढ जिला भीलवाड़ा
7 राज. राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा

..... प्रतिवादीगण

वाद वास्ते स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :::–श्री प्रवीण चौरडीया अधिवक्ता वादीया उप0
पैरोकार सरकार उप0

–:: निर्णय ::–

दिनांक 26–05–2022

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद विरूद्ध प्रतिवादी के इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम खैराबाद तहसील हमीरगढ जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी सख्या 400 रकबा 02 बीघा 05 बिस्वा, आराजी नम्बर 402 रकबा 04 बीघा 13 बिस्वा आराजी नम्बर 991 रकबा 01 बीघा, आराजी नम्बर 992 रकबा 01 बिस्वा, आराजी नम्बर 993 रकबा 02 बिस्वा, आराजी नम्बर 994 रकबा 03 बिघा 06 बिस्वा, आराजी नम्बर 995 रकबा 03 बिघा 12 बिस्वा कुल किता 06 कुल रकबा 14 बीघा 19 बीघा उक्त भुमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादीगण के नाम दर्ज रेकार्ड है तथा वादीया प्रतिवादी संख्या 1 की वैद्य विवाहिता हिन्दू रिती रिवाजानुसार सप्तपदी से विवाहित पत्नि है तथा वादीया एवं प्रतिवादी संख्या के नुत्फे से एक पुत्र संतान भंवर उर्फ छोटू का

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2022.10.11 17:03:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़,भीलवाड़ा

जन्म हुआ। यह है कि प्रतिवादी संख्या 1 ने मु० नोसर पुत्री रतन जी दरोगा निवासी भूणास को अपने साथ रख लिया है तथा उसके साथ व्याभिचार का जीवन व्यतीत कर रहा है तथा उक्त नोसर से प्रतिवादी संख्या 1 के बच्चे बच्चीयों का जन्म भी हो चुका है तथा वह वादीया से ज्यादा मु० नोसर व उसके बच्चे बच्चीयों को ज्यादा स्नेह करता है ।

यह है कि प्रतिवादी संख्या 1 बद्री ने अपनी वैद्य विवाहिता पत्नि वादीया के साथ लड़ाई झगड़ा कर आज से करीबन 10–15 वर्ष पूर्व घर से निकाल दिया तथा वादीया द्वारा भरण

पोषण हेतु कार्यवाही भी प्रतिवादी संख्या 1 के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में संस्थित की तथा उन कार्यवाही में वादीया के पक्ष में आदेश हुआ है । यह है कि

प्रतिवादी संख्या 1 चालाक व्यक्ति है तथा वह अपनी समस्त जायदाद उक्त नोसर व उसके अवैध संतान को देने की नियत से एवं भरण पोषण की कार्यवाही से बचने के लिये वह अपने नाम की जायदाद को विक्रय अथवा अन्य किसी भी प्रकार से अन्तरित कर जायदाद का चयन करना चाहता है ताकि उक्त कार्यवाही में जवाबदेही से बच जाये व अपनी जायदाद को खुर्द बुर्द कर सारी रकम नोसर व उसके बच्चे बच्चीयों को देना चाहता है और इसी गरज वह वादपत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजियात को विक्रय कर अन्तरित करने पर आमादा हो रहा है ताकि वह वादीया द्वारा संस्थित कार्यवाही में जायदाद अवशेष होने कुर्की व निलाम नहीं हो और वादीया की समस्त कार्यवाही को निष्फल कर देना चाहता है इसी दुराशय से अपने नाम की कर की व दुसरी संतान को दे तथा वादीया दर दर ठोकरे खाती रही है। यह है कि प्रतिवादी संख्या अपने दुराशय में सफल हो जायेगा वादीया अपने जायज व अधिकारों से महरूम हो जायेगी व वादीया दर दर की ठोकरे खाती रहे तथा प्रतिवादी संख्या 1 चाहता है कि वादीया कानूनी लड़ाई के बाद केवल डिकीयाँ लेकर घूमती रहे तथा इस हेतु प्रतिवादीगण संख्या 2 से लगायत 6 प्रतिवादी संख्या को पूर्ण सहयोग कर रहे है तथा वादीया बिना किसी कारण के दाम्पत्य जीवन से महरूम रह रही है तथा प्रतिवादी संख्या मु० नोसर के साथ निवास कर रहा है यह है कि वादीया एक अबला अनपढ़ महिला है तथा उसके हक व अधिकारों की सुरक्षा किया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है तथा वादपत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित जायदाद को अवैध तौर दुराशय से विक्रय करने से प्रतिवादी संख्या 1 को रोका जाना न्यायहित में आवश्यक है यह है कि विवादित आराजी ग्राम खेराबाद तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित तहसील भीलवाड़ा का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमान् को प्राप्त है अतः यह वाद न्यायालय श्रीमान् के समायत एवं श्रवणाधिकार का होने से श्रीमान् में प्रस्तुत है यह है कि वाद वांछित न्यायालय शुल्क पर अन्दर अवधि पेश है। यह है कि कारण वाद दिनांक 21/11/2010 से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। वादीया का वाद बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार फरमा इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री पारित फरमाई जावें कि वादपत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित जायदाद को प्रतिवादी संख्या खुर्द बुर्द रहन, विक्रय वसीयत बक्षीस अथवा अन्य किसी भी प्रकार से अन्तरित नहीं करें और न

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2022.10.11 17:03:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़, भीलवाड़ा

ही करावे तथा अन्य प्रतिवादीगण इसमें सहयोग नहीं करें तथा राजस्व रेकार्ड में यथास्थिति बनायी रखी जावें।

प्रस्तुत वाद पत्र को न्यायालय में दिनांक 24.02.2011 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रतिवादीगण को अपने बचाव पक्ष प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया गया प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 बावजुद सूचना के न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में असफल रहा जिसे प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 के विरूद्ध दिनांक 03.11.2011 को एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। एवं प्रतिवादी संख्या 06 बावजुद सूचना के न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में असफल रहा जिसे प्रतिवादी संख्या 06 के विरूद्ध दिनांक 03.05.2012 को एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। तद्नुसार प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 व 3 की ओर से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 07 व सहपठित धारा 151 जा0दी वाद वास्ते स्थाई निषेद्याज्ञा पेश किया गया जिसका जवाब वादी वकील द्वारा दिनांक 31.08.2021 को दिया गया है। जिसकी बहस दिनांक 09.12.2021 को सूनी गई एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 07 व सहपठित धारा 151 जा0दी वाद वास्ते स्थाई निषेद्याज्ञा अस्वीकार किया गया प्रंकरण में कोई जवाब अथवा प्रतिकथन वादी के वादपत्र के खण्डन में प्रस्तुत नही होने से बिना तनकीयात कायम किये प्रकरण को साक्ष्य वादी में रखा गया। वकील वादी द्वारा दिनांक 08.08.2018 साक्ष्य में शपथपत्र श्रीमति रामकन्या पत्नि बद्रीलाल दरोगा आयु 45 वर्ष निवासी हाल खैराबाद तहसील हमीरगढ जिला भीलवाड़ा का पेश किया गया। तत्पश्यात् प्रकरण को वास्ते बहस रखा गया। दिनांक 10.03.2022 को विद्वान अधिवक्ता वादी की एक तरफा बहस सूनी गई प्रस्तुत बहस पर मनन किया पत्रावली पर ध्यान पुर्वक अवलोकन किया गया।

अतः इस प्रकार प्रकरण का अधो–पांत अवलोकन करने से तथा वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र की तायद मे प्रस्तुत शपथपत्र तथा साक्ष्य वादी के प्रस्तुत शपथपत्र, का अवलोकन किया। विवादित आराजीयात जो बद्री पुत्र श्री भैरू दरोगा निवासी खैराबाद तह हमीरगढ जिला भीलवाडा के नाम पर दर्ज रेकॉर्ड है यह बद्री पिता भैरू के द्वारा स्वअर्जित की गई या बद्री पिता भैरू द्वारा विरासत से प्राप्त हुई है यह तथ्य वादीया द्वारा सिद्ध नही किया गया वादीया ने अपने वाद पत्र के साथ कोई ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत नही किया जिससे यह सिद्ध हो की वादीया का कब्जा प्रतिवादी संख्या 01 की आराजी पर हो न ही कोई अन्य संबंधित दस्तावेजात प्रस्तुत किये है, एवं विवादित भूमि इस संबंध राजस्थान काश्तकारी कानून 1955 की धारा 188 (5)(क)(ा) अनुसार स्थायी व्यादेश के लिए खातेदार काश्तकार होकर कब्जा होना आवश्यक है वाद–पूर्व शर्ते–कब्जा होना आवश्यक–यह सुस्थापित है कि–जो व्यक्ति खातेदार नही है वह स्थायी व्यादेश का वाद फाइल नहीं कर सकता। एवं वादीया का वादपत्र खातेदारी अधिकार घोषणा का वादपत्र नही है जबतक वादिया खातेदार काश्तकार घोषित नही हो जाती वादीया का स्थाई निषेद्याज्ञा का वादपत्र चलने योग्य नही

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2022.10.11 17:03:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ, भीलवाड़ा

है। जिसके संबंध में न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी 2003 (2) पेज न.1341 शिवचरण बनाम बाबुलाल जिसमें राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा निर्णय पारित किया गया की विवादित भूमि पर कब्जा काश्त नही है वादी को खातेदारी नही माना जा सकता है धारा 88 अन्तर्गत घोषणा नही चाही। आर.आर. 2019 (1) पेज न. 269 बोदुराम/गणेश में राजस्व मण्डल द्वारा पारित किया गया है वादी खातेदार काश्तकार नही है इसलिए वाद विधि द्वारा वर्जित है। शाश्वत निषेधाज्ञा हेतु काश्तकार ही वाद पेश करने हेतु हकदार है। उक्त न्यायिक दृष्टांत पूर्णतया लागू होते है। वादीया खातेदार काश्तकार नही है वादीया घोषणा का वाद नही है वादी का वादपत्र ब–हक प्रतिवादीगण सन्देह से परे सिद्ध नही होने से न्यायालय वादी के वादपत्र को स्वीकार करना उचित नही समझता है।

–:: आदेश ::–

वदीया द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र बहक प्रतिवादी विरुद्ध वादी के, आधारहीन व दोषपूर्ण प्रस्तुत किये जाने तथा अपने वादपत्र से चाही गयी दाद को सिद्ध करने में असफल रहने से खारिज किये जाने के आदेश प्रसारित किये जाते है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैशल शुमार हो। निर्णय आज दिनांक 26.05.2022 को सरे ईजलास सुनाया।

(अशुंल आमेरिया)
उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर हमीरगढ
जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2022.10.11 17:03:40 IST
Reason: SelfAttested